प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 अगस्त, 2025

विषय: नये क्रय किये जा रहे हेलीकाप्टर Augusta AW 139 पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी M/s Leonardo Helicopter, Italy में पायलटगण को इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-86/ना0उ0नि0/आप्स-75/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नये क्रय किये जा रहे हेलीकाप्टर Augusta AW 139 पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी M/s Leonardo Helicopter, Italy में कै0 अमित कुमार भूटानी एवं कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 13 अगस्त, 2025 से 10 अक्टूबर, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) तथा कै0 राजेश कुमार शर्मा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 से 27 नवम्बर, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) तक इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराए जाने के निमित्त विदेश यात्रा में होने वाले अनुषांगिक व्यय (वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क एवं यात्रा भत्ता के मद में) के रूप में कुल रु0 50,40,900/- (रुपया पचास लाख चालीस हजार नौ सौ मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा नये क्रय किये जा रहे हेलीकाप्टर Augusta AW 139 पर निर्माता कम्पनी कीफैसिलिटी M/s Leonardo Helicopter, Italy में कै0 अमित कुमार भूटानी एवं कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 13 अगस्त, 2025 से 10 अक्टूबर, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) तथा कै0 राजेश कुमार शर्मा, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 से 27 नवम्बर, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) तक इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराए जाने के निमित्त विदेश यात्रा में होने वाले अनुषांगिक व्यय (वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क एवं

2/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यात्रा भत्ता के मद में) के रूप में कै0 अमित कुमार भूटानी एवं कै0 अक्षय जायसवाल हेतु धनराशि रू0 35,22,300/- (रू0 17,61,150 प्रति पायलट की दर से) तथा कै0 राजेश कुमार शर्मा हेतु रू0 15,18,600/- अर्थात् कुल रु0 50,40,900/- (रुपया पचास लाख चालीस हजार नौ सौ मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या-70/2025/1073/1073(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य), अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलटगण।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।